

## समक्ष - अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर सिविर भोपाल

एम.जी.सी.क्र.

अभय पिता गुरूदत्त आर्य जाति कलार

1014

निवासी - विकास नगर चिचोली तह. चिचोली जिला बैतूल

--रिवीजनकर्ता/आवेदक

अ अभय आय आवरका द्वारा आज

TI 5787

बनाम

1. अनिल पिता गुरूदत्त आर्य जाति कलार

निवासी - विकास नगर चिचोली तह. चिचोली जिला बैतूल

2. संजय पिता गुरूदत्त आर्य जाति कलार

निवासी - चिरायू हास्पिटल के पास टिकारी बैतूल

तह. व जिला बैतूल

--गैररिवीजनकर्ता/अनावेद

## आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

रिवीजनकर्ता की ओर से विनय है:-

- 1. यह कि रिवीजनकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिचोली के अन्त आदेश की धारा 50 मध्य प्रदेश भू- राजस्व सिहंता के तहत रिवीजन संस्थापित कें जो अदम पैरवी में खारिज होने के कारण धारा 35 (3) मध्य प्रदेश भू-राजस्व से के तहत प्रकरण संस्थापित किया था। उक्त प्रकरण का विचारण कैम्प भोपाल में जा रहा था किन्तु कैम्प भोपाल के सिविर की जानकारी न होने से रिवीज उपस्थित नहीं हो सका था।
  - यह कि पेशी तारिख की सूचना हेतू यह आदेशित किया गया था कि उप हेतू सूचना पत्र भेजा जावेंगा किन्तु रिवीजनकर्ता को कैम्प भोपाल में उपस्थि संबंधि कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ इसलिए रिवीजनकर्ता उपस्थित नहीं हो स्

<del>ोर्ड अवरेल</del>ना नहीं की गई है

13-2-15

अतिद्वते तदात ज्ञिमातत द्वारा रेस्ट्री रेशन अतिद्व एम पर परसुत तिं पर वेचार किया।

होने से स्ज डवरण पुत्र मक्ताचान,कारक लिया जाता है। इस डवरण से कोइबारीबाही थेए न होने से समाप निया जाता है।

उन्दर्भ